UPPB010027422026

**न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत।**

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1092/2026

अनिता पत्नी सत्यपाल, निवासी ग्राम– सबलपुर खास, थाना–पूरनपुर, जिला–पीलीभीत

.....आवेदिका/अभियुक्ता

**बनाम**

उ0प्र0 सरकार .....अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–253/2026,
अन्तर्गत धारा– 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना–पूरनपुर, जनपद–पीलीभीत।

**दिनांकः 24.06.2026**

1. प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता अनिता की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–13.06.2026, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रुपम देवी की के पड़ोस में रहने वाले कामित, सत्यपाल, कृष्णपाल एवं अनिता देवी ने वादिनी मुकदमा को एवं उसके पति को जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डा से वार किया, जिससे वादिनी के पति के सिर में खुली चोटें आई है।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उसको उपरोक्त मुकदमे में रंजिशन झूठा फंसाया गया है एवं उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। उसकी एक दुधमुही छोटी पुत्री आयु 9 माह है, जो वर्तमान उससे अलग है। उक्त वाद में चुटैल को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनाँक–13.06.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः उसको जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता अपने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा एवं उसके पति के साथ लाठी–डंडे से मारपीट की, जिससे वादिनी के पति के सिर में गम्भीर चोटे आयी। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उसके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदिका/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैलों को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अभियुक्ता महिला है, वह दिनाँक 13.06.2026 से जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध है। इस स्तर पर गुण दोष के आधार पर कोई भी टिप्पणी किया जाना न्यायेचित नहीं है। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदिका/अभियुक्ता अनिता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित आवेदिका/अभियुक्ता को उसके द्वारा अंकन 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसको जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए–

1. अभियुक्ता विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।
2. आरोप तथा धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगी।
3. न्यायालय जब भी आदेश करेगा, वह न्यायालय में उपस्थित होगी।
4. किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगी।
5. जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगी, तो इसकी सूचना न्यायालय को देगी।

दिनाँकः 24.06.2026

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।